न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
214/2025	25.04.2025	2025

उनवान

1. प्रेम देवी पत्नि मागीलाल विश्नोई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)

—— प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती मांगी पत्नी गोपी बलाई निवासी ढोलियाखेड़ा तहसील व जिला (राजस्थान)।
2. गोविन्दसिह पुत्र शंकरसिंह राजपुत निवासी ढोलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. सुगनचन्द्र पुत्र जोधाराम रजवानिया जाति धोबी निवासी बीलपुर वाया चन्दवाली जिला जयपुर हाल मुकाम बापूनगर भीलवाड़ा (राज०)।
4. रायमलसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुत निवासी ढोलियाखेड़ा तहसील जिला भीलवाड़ा (राजपूत)।
5. शंकरसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपुत निवासी ढोलियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा(राज०)।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 उपस्थित नहीं
3. अप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता श्री विकास जायसवाल उपस्थित।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढोलियाखेडा पटवार हल्का भोपालगढ भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि स्थित आराजी संख्या 418/5 रकबा 0.6449 हेक्टेयर कुल किता 01 रकबा 0.6449 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 03 की और से जवाब प्रस्तुत। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई एवं विपक्षी संख्या 03 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम ढोलियाखेडा पटवार हल्का भोपालगढ भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि स्थित आराजी संख्या 418/5 रकबा 0.6449 हेक्टेयर, कुल किता 01 रकबा 0.6449 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक ....2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा